न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 56/2021

1. रूड़ाराम पुत्र गीगराज, जाति माली, निवासी करमाड़ी तन पपुरना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं
2. केदारमल पुत्र गीगराज, जाति माली, निवासी करमाड़ी तन पपुरना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।
2. भोलूराम पुत्र गीगराज, जाति माली, निवासी करमाड़ी तन पपुरना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रूड़ाराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 91/2019 निर्णय दिनांक 22.11.2019

उपस्थितिः–

1 .श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 12.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.11.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रूड़ाराम मु0 नं0 91/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत ने अपीलांटस को ना तो साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया और ना ही वस्तु स्थिति समझाने का प्रयास किया और अपीलांटस एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 के खिलाफ विधि विरूद्ध [illegible]रित कर दिया। अपीलांटस के खिलाफ मोहनलाल सैनी द्वारा झूठे आधारों पर शिका[illegible]श की गई है कि उनका रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Goud
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested

पर अतिक्रमण कर अपीलांटस व रेस्पोडेंटस नंबर 2 अतिक्रमण कर रहे है जिस पर हल्का पटवारी से मिलकर एक तरफा रिपोर्ट झूठी गलत आधारों पर बनाकर अदालत मातहत के समक्ष पेश की जबकि हल्का पटवारी को शिकायत पेश करने से पूर्व मौके की स्थिति को भली–भांति समझना चाहिए था कि गैर मु0 पहाड़ की भूमि में से कोई व्यक्ति कदीमी रास्ते का आधार बनाकर व्यक्तिगत आधार नहीं बना सकता है तथा राजस्व रिकार्ड में भी कदीमी रास्ते का अंकन नहीं है। इसलिए अदालत मातहत ने बिना गौर किये ही अपीलांटस व रेस्पोंडेंटन नंबर 2 के घरों की गुवाडी के भू–भाग को रास्ता की भूमि मानकर बेदखल करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अदालत मातहत को मौके पर जाकर स्थिति को देखकर अपना निर्णय किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस नंबर 2 की 50 वर्षों से पुरानी गुवाड़ी जो उनके पिता के समय से चली आ रही थी उसको अतिक्रमी घोषित कर तोड़ने का आदेश देना एक असहनीय आदेश है। अपीलांट्स गरीब है तथा अन्य कोई निवास के लिए स्थान नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 22.11.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटस को उक्त भूमि का आवंटन जारी होने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांटस के खिलाफ मोहनलाल सैनी द्वारा झूठे आधारों पर शिकायत पेश की गई है कि उनका रास्ता पर अतिक्रमण कर अपीलांटस व रेस्पोडेंटस नंबर 2 अतिक्रमण कर रहे है जिस पर हल्का पटवारी से मिलकर एक तरफा रिपोर्ट झूठी गलत आधारों पर बनाकर अदालत मातहत के समक्ष पेश की जबकि हल्का पटवारी को शिकायत पेश करने से पूर्व मौके की स्थिति को भली–भांति समझना चाहिए था कि गैर मु0 पहाड़ की भूमि में से कोई व्यक्ति कदीमी रास्ते का आधार बनाकर व्यक्तिगत आधार नहीं बना सकता है तथा राजस्व रिकार्ड में भी कदीमी रास्ते का अंकन नहीं है। इसलिए अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested

मातहत ने बिना गौर किये ही अपीलांटस व रेस्पोंडेंटन नंबर 2 के घरों की गुवाडी के भू–भाग को रास्ता की भूमि मानकर बेदखल करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अदालत मातहत को मौके पर जाकर स्थिति को देखकर अपना निर्णय किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस नंबर 2 की 50 वर्षों से पुरानी गुवाड़ी जो उनके पिता के समय से चली आ रही थी उसको अतिक्रमी घोषित कर तोड़ने का आदेश देना एक असहनीय आदेश है। अपीलांट्स गरीब है तथा अन्य कोई निवास के लिए स्थान नहीं है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलांट ने राजस्व ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 2576 रकबा 4.25 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ के रकबा 16.38 वर्ग मीटर पर गैर सायलान ने पत्थरों का पारा लगाकर तथा मौके पर ईंटं, पत्थर,डस्ट आदि डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 22.11.2019 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 2576 रकबा 4.25 हैक्टर किस्म गैर मु0 पहाड़ के रकबा 16.38 वर्ग मीटर पर पत्थरों का पारा लगाकर तथा मौके पर ईंटं, पत्थर, डस्ट आदि डालकर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जाना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित दिनांक 22.11.2019 उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सरकार बनाम रूड़ाराम मु0नं0 91/2019 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.10.12 17:42:47 IST
Reason: SelfAttested